छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग
छत्तीसगढ़ शासन

''विद्या निलयम''
ब्लॉक 7B, भू-तल, ऑफिस कैम्पस, सेक्टर 24
नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
पिनकोड : 492018
दूरभाष : 0771-2277580
ई-मेल : cgpurc16@gmail.com
वेबसाइट : www.purc.cgstate.gov.in

क्रमांकः 10113/विविध/171/2019/20784 नवा रायपुर, दिनांक 20/09/2024

प्रति,

कुलसचिव
डॉ.सी.वी. रमन विश्वविद्यालय
करगी रोड, कोटा
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय (डॉ.सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, जिला–बिलासपुर) में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित एवं अध्यादेश में प्रकाशित पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारण के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 36(8)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में डॉ.सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, जिला–बिलासपुर में शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिये आयोग द्वारा निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क का विवरणः–

सं.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	वर्ष 2024–25 हेतु शुल्क निर्धारण समिति द्वारा अनुशंसित शुल्क (रू. में)
1	B.A.	8800
2	M.A. (ENGLISH)	9900
3	MA (HINDI)	9900
4	MA(HISTRY)	9900
5	MA(GEOGRAPHY)	9900
6	MA(POLITICAL SCIENCE)	9900
7	MA (ECONOMICS)	9900
8	MA (CHHATTISGARHI)	9900
9	MA(EDUCATION)	9900

क्रमशः:02

10	MA(SANSKRITE)	9900
11	MA (SOCIOLOGY)	9900
12	MSW	15750
13	B.Lib	11000
14	M.Lib	13650
15	BJMC	11000
16	MJMC	15750
17	B.Com	15400
18	M.Com	16800
19	BBA	19800
20	PGDBM	26250
21	BPES	14700
22	MPES	16800
23	BCA	18900
24	DCA	11000
25	M Sc IT	18900
26	M.Sc. CS	18900
27	PGDCA (GEN)	16800
28	PGDCA(PROF)	16800
29	BALLB	33000
30	B Com.LLB	33000
31	LLB	22050
32	LLM	22000
33	B.SC (BIOLOGY)	13200
34	B.SC. (MATHS)	13200
35	B.SC. (CS)	13200

क्रमशः03

36	B.SC. (MICROBILOGY)	13200
37	B.SC. (BIOTECHNOLOGY)	13200
38	M.Sc (BOTANY)	18900
39	M.Sc. (ZOOLOGY)	18900
40	M.Sc. (BIOTECHNOLOGY)	23100
41	M.Sc (MICROBIOLOGY)	23100
42	M.SC. (RURAL TECH)	13650
43	M.Sc. PHYSICS	18900
44	M.Sc. CHEMISTRY	18900
45	M.Sc.MATHS	16800
46	PGDRD	14700
47	RESEARCH (Science)	79800
48	RESEARCH (ARTS)	61950

1. अनुमोदित कुल शुल्क में से 10 % राशि विकास शुल्क होगी। इसका लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशि का उपयोग नियमानुसार विश्वविद्यालय के विकास मे करना होगा।
2. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित शुल्क वार्षिक है तथा यह शुल्क सत्र 2024–25 में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित समयावधि पूरी होने तक लागू रहेगी।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में से यदि किसी पाठ्यक्रम के लिए शुल्क राशि का निर्धारण राज्य की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया गया है, तो उस पाठ्यक्रम हेतु वही शुल्क राशि मान्य होगी।
4. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शुल्क में सम्मिलित समस्त शुल्क यथा रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल हैं, तथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क, यातायात/बस चार्जेस, छात्रावास/मेस चार्जेस आदि वैयक्ति व्यय पृथक से लिये जा सकेंगे परंतु उनका लेख भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
5. आगामी वित्तीय वर्ष की समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों की तुलना, अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा। अंतर के कारणों को स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहाँ से की गई, स्पष्ट करनी होगी, यदि लागते कम हुई तो अधिक वसूली गई फीस छात्रों को वापस करनी होगी।

6. आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु अनुमोदित शुल्क से यदि विश्वविद्यालय द्वारा अधिक शुल्क विद्यार्थियों से लिया गया है, तो इस राशि को विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को वापस करना होगा अथवा इसका समायोजन आगामी सत्र में करना होगा तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी आयोग कार्यालय को अनिवार्य रूप से 15 दिवस के अंदर देनी होगी।
7. विश्वविद्यालय द्वारा यदि किसी पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक सत्र 2024–25 में शुल्क निर्धारण आयोग कार्यालय से नही कराया गया है तो वर्तमान में लिये जा रहे शुल्क की जानकारी आयोग कार्यालय को तुरंत प्रेषित किया जायें। यह शुल्क किसी भी स्थिति में पूर्ववर्ष में आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक नही होना चाहिए।
8. समस्त निजी विश्वविद्यालयों को आगामी प्रत्येक वर्षो में शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु माह अप्रेल–मई में अनिवार्य रूप से कराया जाना होगा। जो विश्वविद्यालय माह अप्रेल–मई में शुल्क का निर्धारण नहीं करवायेंगे तो यह माना जायेगा कि वे पूर्व वर्ष में निर्धारित शुल्क में किसी तरह की वृद्धि नही करेंगें, किन्तु इस संदर्भ में आयोग को विश्वविद्यालय द्वारा जून माह के पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
9. जिन विषयों में शुल्क का निर्धारण आयोग द्वारा अनुमोदित नही करवाया जायेगा, उन विषयों में विश्वविद्यालय को प्रवेश देने की पात्रता नही होगी।

(के.के. चंद्राकर)
सचिव
छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक
आयोग(छ.ग.)